वास्ते प्रकाशनार्थ

कार्यालय अधिशाषी अभियंता जल संसाधन दक्षिण खण्ड श्रीगंगानगर

क्रमांकः— लेखा/निलामी/2018/ 3302-3315 दिनांकः— 21.02.2019

नीलामी सूचना संख्या 05 वर्ष 2018—19

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि इस खण्ड के अन्तर्गत Bareti की निलामी "जहां है जैसे है" की नीलामी दिनांक 08.03.2019 को प्रातः 11 बजे सिंचाई विश्राम गृह श्रीगंगानगर में की जायेगी। अतः प्रतिष्ठित एंव इच्छुक फर्मो से निम्न सामग्री हेतु नीलामी सूचना आमंत्रित की जाती है। जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः— (राशि रूपयें में)

आईटम संख्या	सामान का विवरण	अनुमानित राशि	धरोहर राशि
1	Collection of Local Sand/Canal Sand from LNP Disty from RD 49.850 to 52-150	156530	30000/—

उक्त निलामी सूचना की विस्तृत विवरण एंव शर्ते इत्यादि www.sppp.rajasthan.gov.inविभागीय देबसाई एंव www.waterresourcs.rajsthan.gov.in एंव dipr.rajsthan.gov.in साईड पर देखी जा सकती है। एंव UBN No.:- **WRN----------** है।

अधिशाषी अभियंता
जल संसाधन दक्षिण खण्ड
श्रीगंगानगर।

Scanned with CamScanner

नीलामी की शर्तें

1. बोलीदाता धरोहर राशि 30000 रूपये बोली स्थल पर बोली से पूर्व जमा करवानी होगी। उच्चतम बोलीदाता को निलामी राशि पर जीएसटी. स्वंय के स्तर पर संबधित विभाग में जमा करवाये जाने पर ही कार्यादेश जारी किया जावेगा। सम्पर्क हेतु श्री जगदीश ड़ागला स.अ. मोबाईल नं. 9549650812 पर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
2. उच्चतम् बोलीदाता को बोली समाप्त होते ही बोली की 25 प्रतिशत राशि मौके पर ही जमा करानी होगी अन्यथा धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी। शेष राशि आदेश जारी होने के 3 दिन में जमा करानी होगी अन्यथा पूर्व में जमा राशि जब्त कर ली जायेगी।
3. उक्त निलामी के कार्यादेश जारी होने से पूर्व उच्चतम बोलीदाता को बोली के 10 प्रतिशत की दर से **Security Deposit** जमा करवानी होगी जोकि कार्य पूर्ण होने के पश्चात् संबंधित अभियंता की कार्यपूर्णता रिर्पोट के आधार पर लौटाई जावेगी।
4. बोलीदाता को कार्यादेश जारी होने पर 7 दिवस के अन्दर–2 बरेती खनन के संबंध में सेल्स टैक्स/खनिज विभाग से लाईसेंस अपने स्तर पर प्राप्त कर विभाग को सुपुर्द करना होगा।
5. नीलामी "जहां है जैसे है" के आधार पर होगी।
6. बोली दाताओं को सलाह दी जाती है की बोली देने से पूर्व उक्त बरेती स्थल का स्वयं के खर्चे पर ऊपर वर्णित आर.डी. पर बरेती की मात्रा का अवलोकन कर ले। नीलामी के पश्चात् कोई शिकायत/दावा मान्य नहीं होगा।
7. नीलामी कमेटी की मौजूदगी में होगी। उच्चतम् बोली से कमेटी के सन्तुष्ट होने पर ही बोली छोड़ी जायेगी अन्यथा नीलामी निरस्त करने का अधिकार नीलामी कमेटी को होगा।
8. बोलीदाता को आदेश जारी होने की तिथि से बरेती नहर की बंदी में ही निकाल कर नहर से उठानी होगी।
9. बोलीदाता को 8–10 टन भार से अधिक क्षमता के साधन बरेती निकालने के लिये स्वीकृत नहीं किये जावेगें। बरेती की निकासी दिनांक 31.03.2019 तक वैद्य होगी।
10. बोलीदाता को बरेती का खनन उनके स्वंय के खर्च पर ही करना होगा। बरेती खनन के लिये विभाग पर कोई दावा नहीं किया जा सकेगा।
11. बोलीदाता द्वारा खनन की गई बरेती विभागीय भूमि पर एकत्रित करने की स्वीकृति नहीं होगी तथा बरेती निकालने के साथ के साथ स्थल से उठानी होगी।
12. बोलीदाता नहर की सुरक्षा की दृष्टि से साईट इन्जिनियर ईन्चार्ज की देखरेख में बरेती उठाने का कार्य करेगा। बरेती खनन के दौरान नहर को हुई क्षति को बोली दाता द्वारा ठीक कराया जावेगा। अगर बोलीदाता द्वारा नहर को क्षति पहुंचाई गई और इसे ठीक नहीं करवाया गया तो उसकी Security Deposit (जमा राशि) जब्त कर ली जावेगी तथा उसके विरूद्व नियमानुसार एफ.आई.आर. दर्ज करवाई जावेगी।

अधिशाषी अभियंता
जल संसाधन दक्षिण खण्ड
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner